राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग/फार्मासिस्ट/(सीधी भर्ती 2013)/एफ– 8/2017/121 दिनांकः 08-02-2017

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमों के अंतर्गत फार्मासिस्ट के पदों पर नियुक्ति हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक 147 दिनांक 26.02.2013 के संदर्भ में निदेशालय के आदेश क्रमांकः नर्सिंग/फार्मासिस्ट/(सीधी भर्ती–2013)/2016/220 दिनांक **16.08.2016** के द्वारा 554 एवं आदेश क्रमांक 274 दिनांक 30.09.2016 के द्वारा 35 अभ्यर्थियों एवं आदेश क्रमांक 355 दिनांक 16.11.2016 के द्वारा 8 अभ्यर्थियो के पदस्थापन आदेश जारी किये जा चुके है, की निरन्तरता में चयन समिति फार्मासिस्ट भर्ती 2013 द्वारा 73 अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र जांच में सही पाये जाने पर अपने पत्र क्रमांक 1430 दिनांक 15.01.2017 के द्वारा 36 अभ्यर्थियो एवं 1433 दिनांक 18.01.2017 के द्वारा 37 अभ्यर्थियो का अंतिम चयन कर सूची प्रस्तुत की है जिसके आधार पर निम्न 73 अभ्यर्थियों का फार्मासिस्ट के पद पर पे–बैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे **3600/–** में कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के अधीन पदस्थापित किया जाता है।

S.No.	Appl No.	Applicant Name	Father's Name	Husband Name	Date of Birth	Gender	Category	Place of Posting Under CM & HO
1	6010011777	Padmarani	Rikab Chand Bohara.S	Rakesh Mehta	5-Jul-70	Female	General/Unreserved	AJMER
2	6010013410	Himmat Kumar Sharma	Mool Chand Sharma	-	19-Sep-84	Male	General/Unreserved	JODHPUR
3	6010010648	Pankaj Nagar	Kanhaiya Lal Nagar	-	27-Oct-82	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	KOTA
4	6010011329	Rajesh	Jaishanker Thakar	-	30-Mar-75	Male	General/Unreserved	DUNGARPUR
5	6010004771	Madhu Sudan Sharma	Naresh Chandra Sharma	-	3-Aug-81	Male	General/Unreserved	ALWAR
6	6010008006	Narendra Chhangani	Vasudev Chhangani	-	11-Nov-77	Male	General/Unreserved	KARAULI
7	6010010430	Bhajan Lal	Nathu Ram	-	5-Jul-87	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	JALORE
8	6010013302	Jagga Singh	Jeet Singh	-	7-Mar-81	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	NAGAUR
9	6010007812	Ram Niwas Choudhari	Jagdeesh Prasad Choudhari	-	24-Dec-83	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	BARAN
10	6010011759	Avinash Kumar Garg	Dhanraj Garg	-	15-Sep-77	Male	General/Unreserved	CHC CHIPABAROD BARAN (माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 21.9.16 की पालना मे)
11	6010007768	Harish Swami	Bhajan Lal	-	14-Jun-87	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	AJMER
12	6010010832	Vijendra Singh Shekhawat	Bahadur Singh	-	3-Aug-73	Male	General/Unreserved	JODHPUR
13	6010013224	Madan Lal	Indraj	-	1-Jul-82	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	NAGAUR
14	6010011401	Santosh Kumar Garg	Devi Lal Garg	-	15-Jun-78	Male	General/Unreserved	BHARATPUR
15	6010005791	Hameer Singh Rajawat	Naval Singh	-	17-Aug-80	Male	General/Unreserved	JAIPUR - I
16	6010013723	Anand Kumar	Phool Chand Swami	-	28-Jul-83	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	HANUMANGARH
17	6010010743	Mohammad Ashraf	Fakhruddin	-	21-Oct-86	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	JHALAWAR
18	6010010749	Manish Kumar Gupta	Vishambhar Dayal Gupta	-	20-Nov-84	Male	General/Unreserved	BHARATPUR

19	6010007562	Arjun Lal Jat	Mali Ram Jat	-	10-Aug-82	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	KARAULI
20	6010012379	Tarun Maheshwari	Gyan Chand Maheshwari	-	8-Mar-80	Male	General/Unreserved	DUNGARPUR
21	6010012986	Sunny Grover	Gulshan Grover	-	16-Jan-86	Male	General/Unreserved	UDAIPUR
22	6010013329	Abdul Mazid	Mohammad Shafiq	-	5-Sep-85	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	DUNGARPUR
23	6010013275	Ravindra Kumar Soni	Ghanshyam Soni	-	2-Jan-77	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	NAGAUR
24	6010013250	Laxmi Singh Ghadoria	Sohan Lal Ghadoria	-	20-May-71	Male	S.C.	DAUSA
25	6010010486	Prakash Chand Nager	Moti Lal Nager	-	12-Feb-74	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	JHALAWAR
26	6010006481	Mohammad Javir	Mohammad Amin	-	27-Sep-87	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	BANSWARA
27	6010010823	Om Prakash Saini	Sita Ram Saini	-	5-Jul-78	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	CHITTORGARH
28	6010010637	Jamil Ahmed	Iqbal Ahmed	-	1-Mar-77	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	NAGAUR
29	6010009892	Nitesh Kumar Sharma	Sant Kumar Sharma	-	6-Jun-87	Male	General/Unreserved	JODHPUR
30	6010010511	Dilip Kumar	Ramkaran Patidar	-	5-Jun-82	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	JHALAWAR
31	6010011625	Sushil Gupta	Mahaveer Prasad	-	23-Jul-83	Male	General/Unreserved	JAIPUR - I (CITY)
32	6010013850	Devender Singh	Ummed Singh	-	15-Aug-77	Male	General/Unreserved	JALORE
33	6010010415	Buti Ram	Shri Chand	-	17-Aug-76	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	JHUNJHUNU
34	6010013010	Gotam Sharma	Bharat Bhushan Sharma	-	7-Aug-79	Male	General/Unreserved	RAJSAMAND
35	6010009933	Kamlesh Kumar Rathore	Ramesh Chand Rathore	-	10-Jun-80	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	JHALAWAR
36	6010012948	Narendra Kumar Sharma	Banwari Lal Sharma	-	9-Jul-86	Male	General/Unreserved	SIROHI
37	6010013188	Krishan Kumar	Sohan Lal	-	13-Feb-79	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	BARMER
38	6010013248	Santosh Kumar	Murari Lal	-	3-Mar-76	Male	General/Unreserved	DHOLPUR
39	6010012112	Jagdish Prasad Gupta	Om Prakash Gupta	-	20-Jul-79	Male	General/Unreserved	DAUSA
40	6010010758	Prashant Bhatnagar	S S Bhatnagar	-	2-Jun-82	Male	General/Unreserved	AJMER
41	6010010914	Sanjay Kumar Verma	Mali Ram Verma	-	27-Jun-80	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	TONK
42	6010013129	Chanderbhan	Ganpat Ram	-	8-Apr-83	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	BARMER
43	6010013079	Ramesh Kumar	Balram	-	7-Jul-87	Male	S.C.	BARMER
44	6010005049	Anil Kumar Vyas	Ram Chandra Vyas	-	24-Feb-74	Male	General/Unreserved	JAISALMER
45	6010004011	Harmeet Singh	Jagjeet Singh	-	20-Jul-82	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	BIKANER
46	6010008149	Mukesh Kumar Saini	Ram Kishor Saini	-	2-Jul-87	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	NAGAUR
47	6010009445	Mahaveer Prashad Mali	Sukhdav Mali	-	7-Jul-81	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	TONK
48	6010010040	Vinod Kumar	Chander Bhan	-	25-Jun-72	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	JODHPUR
49	6010010123	Sharvan Kumar Bagaria	Nanu Ram Bagaria	-	20-Jul-82	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	SIROHI
50	6010013795	Shrawan Kumar Sharma	Dwarika Prasad Sharma	-	25-Jul-80	Male	General/Unreserved	ALWAR
51	6010011366	Jagdish Prasad Yadav	Nanu Ram Yadav	-	8-Dec-78	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	NAGAUR
52	6010010702	Krishan Kumar Saini	Suva Lal Saini	-	10-Oct-79	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	NAGAUR
53	6010010389	Ali Mohammed	Sher Mohammed	-	5-Oct-77	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	CHURU
54	6010012194	Pawan Kumar	Rameshwar Lal	-	15-Jul-82	Male	S.C.	JODHPUR
55	6010007597	Siddharth Soni	Chand Mal Soni	-	10-Sep-86	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	JALORE
56	6010010776	Jitendra Marwal	Rampal	-	1-Jan-82	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	PALI

57	6010013828	Ratan Lal Nitharwal	Vishveshwar Lal Nitharwal	-	15-Oct-82	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	CHITTORGARH
58	6010011233	Mahendra Kumar	Bhura Ram	-	15-Aug-90	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	NAGAUR
59	6010007036	Mahender Kumar Sain	Nand Kishor Sain	-	2-May-76	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	BHARATPUR
60	6010011413	Aastha Shah	Jayvant Shah	-	29-Jul-90	Female	General/Unreserved	DUNGARPUR
61	6010010009	Prahlad Singh Nagar	Devi Lal Nagar	-	27-Jul-84	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	JHALAWAR
62	6010012075	Narayan Lal Tanwar	Dhanna Ram Tanwar	-	15-May-76	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	CHURU
63	6010013737	Surjeet Singh Yadav	Chaman Singh Yadav	-	27-Feb-80	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	JAIPUR - II
64	6010010613	Durga Shanker Nagar	Mathura Lal Nagar	-	25-May-79	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	JHALAWAR
65	6010010760	Arjun Ram	Ganesh Ram	-	26-Jun-72	Male	S.C.	NAGAUR
66	6010011462	Naveen Kumar Bhambhi	Ramraj Bhambhi	-	14-Sep-88	Male	S.C.	NAGAUR
67	6010012869	Subhash Chandra	Durga Ram	-	16-Jul-79	Male	S.C.	BARMER
68	6010012848	Aditya Kumar	Hanuman Sahai Balai	-	20-Sep-82	Male	S.C.	ALWAR
69	6010007939	Manohar Lal	Sh Banwari Lal	-	10-Sep-69	Male	S.C.	JODHPUR
70	6010010244	Mukesh Kumar Verma	Chandresh Verma	-	6-May-83	Male	TSP-S.C.	BANSWARA
71	6010009894	Sunil Kumar Udai	Puran Chand Udai	-	10-Apr-86	Male	S.C.	PRATAPGARH
72	6010013652	Santosh Kumar Panwar	Loonkaran Panwar	-	17-Apr-81	Male	S.C.	JAISALMER
73	6010013286	Nand Kishore Kansotya	Ladu Ram Kansotya	-	24-May-78	Male	S.C.	ALWAR

चयनित अभ्यर्थीयों को दो वर्ष के प्रोबेशन काल में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या:–एफ 14(1)/एफडी (रूल्स)/2013–Pt दिनांक 08.06.2015 द्वारा निर्धारित नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रूपये 13200/– प्रतिमाह कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा। दो वर्ष का प्रोबेशन काल संतोषजनक पूर्ण करने पर इन्हे फार्मासिस्ट के पद की नियमित पे– बैण्ड में ग्रेड–पे देय होगी।

यह पदस्थापन सूची रिट संख्या 16443/2015, 15352/2015, 15851/2015, 3578/2015, एवं 4995/2016 माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर विचाराधीन याचिकाओ के निर्णय के अध्यधीन तथा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवम् माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर व अन्य माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में पारित होने वाले निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।

संलग्न पदस्थापन सूची निम्न शर्तों के अध्यधीन जारी की जा रही है:–

1. संलग्न सूची में वर्णित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/पैरामेडीकल/सीधी भर्ती–2013/2015/390 दिनाँक 18.09.2015 जिसकी प्रति पूर्व में ई–मेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी है, (प्रति पुनः संलग्न हैं) में उल्लेखित अनुसार जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निदेशालय के पत्र संख्या नर्सिंग/पैरामेडीकल/सीधी भर्ती–2013/ 2015/391 दिनाँक 18.09.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों, विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तो की पूर्ति बाबत पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराया जायेगा।
2. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या: एफ.13 (1)/एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.04 के अनुसार उक्त नवनियुक्त कर्मचारियों पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।
4. संलग्न सूची में वर्णित अभ्यर्थियों की जन्म तारीख उनके सैकेण्ड्री के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्मतिथि का जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा सत्यापित किया जाना है।

5. दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा। (शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है)
6. अभ्यर्थियों द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड कर उपस्थिति प्रस्तुत की जा सकती है। सभी अभ्यर्थी जिनका पदस्थापन किसी भी संस्थान में किया गया हो प्रथमतः अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी कार्यालय में ही देगें। संबंधित सीएमएचओ द्वारा जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंषा के उपरांत जिला कलेक्टर के अनुमोदन से अभ्यर्थियों को अपने अधीन अथवा जिन संस्थानों में पदस्थापन किया गया है में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करेगें।

   मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उनके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थियों को प्रथमतः उनके जिले में आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ही पदस्थापित करेगें।
7. उक्त सभी अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करते समय उक्त समिति के सम्मुख स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस वेरीफिकेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति, फार्मेसी कौंसिल मे 02.04.2013 तक पंजियन एवं कार्यग्रहण करने की तिथि तक नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्रों की छायाप्रति जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है, के मूल दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत करने होगे। सभी छाया प्रति स्वप्रमाणित प्रस्तुत करनी होगी। समक्ष अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मेडिकल ज्यूरिष्ठ/मु.चि.एवं स्वा.अधि.) एवं सबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र ही मान्य होगें।
8. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी, परिवर्तित अथवा कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे। साथ ही दोषी के विरूद्ध न्यायिक/दण्डिक कार्यवाही की जावेगी।
9. अभ्यर्थी का पदस्थापन जिस संस्थान में किया गया है उस संस्थान के कार्यालध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी के समस्त मूल दस्तावेज प्राप्त कर जारी करने वाली सबंधित संस्था से सत्यापन करायेगें। सत्यापन होने एवं सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को उनके मूल दस्तावेज लोटाये जावेगें। अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किए जावेंगे। यदि कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूटरचित पाया जावे तो तत्काल निदेशालय से मार्ग दर्शन प्राप्त करें।
10. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प015(1) कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.8.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
11. यह नियुक्तियॉ संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन है।
12. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 6(19) गृह–13/2006 दिनारंक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा यदि विवाह पंजियन नहीं करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे। परिपत्र दिनांक 22.05.2006 के जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग का नवीनतम जाति प्रमाण पत्र कार्यग्रहण करने की तिथि से छःमाह पूर्व तक की अवधि का राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये, जिसमें क्रीमीलेयर/नॉनक्रीमीलेयर की प्रविष्टि स्पष्टतः अंकित होनी चाहिये । इन वर्गो के क्रीमीलेयर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है।
14. ऐसे अभ्यर्थी जो विशेष योग्यजन श्रेणी (वन लेग/बोथलेग) में चयनित है, उन्हे अपनी निःशक्तता के संबंध में चिकित्सा मण्डल (Medical Board) द्वारा जारी मूल निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन विधवा अथवा परित्यक्तता श्रेणी के लिए आरक्षित पदो के विरूद्ध किया गया है उन्हे इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि तक पुर्नविवाह नहीं किया है।(संलग्न शपथ पत्र का प्रारूप)

16. नवचयनित अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जावे कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का धुम्रपान अथवा नशा नहीं किया जावेगा।
17. जिन अभ्यर्थियों को चयन में अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिये हैं, उन्हें विज्ञप्ति में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिये अधीकृत अधिकारी द्वारा जारी मूल अनुभव प्रमाण पत्र कार्य ग्रहण के समय प्रस्तुत करना होगा।
18. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अन्य राज्यों में एनआरएचएम योजना के अन्तर्गत कार्य अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया गया है इन अभ्यर्थियों का आवेदन करने की अन्तिम तिथि 02.04.2013 को राजस्थान फार्मेसी कौंसिल, राजस्थान जयपुर में पंजीयन एवं कार्य ग्रहण तिथि को पंजीयन नवीनीकृत होना अनिवार्य है।
19. जिन अभ्यर्थियों का चयन टीएसपी क्षेत्र के निवासी अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित पदों के विरूद्ध कियागया है उन अभ्यर्थियों को टीएसपी क्षेत्र में निवास करने का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र कार्य ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
20. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उनके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जिला कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात जारी किये जावेगें।
21. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या प0 1(1) कार्मिक/(क–2)/2016 दिनांक 15.07.2016 के अनुसार नवचयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावें। (प्रति संलग्न है)
22. ये आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् जारी किये जा रहे है।
23. इस आदेश की पालना में कार्यग्रहण किये जाने की अंतिम तिथि **28.02.2017** निर्धारित है। निर्धारित तिथि पश्चात आदेश स्वतः ही निरस्त समझें जावेगें।

Sd-

(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः नर्सिग/फार्मासिस्ट/(सीधी भर्ती 2013)/एफ– 8 /2017/121 दिनांकः 08-02-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम एवं विशिष्ठ शासन सचिव, चि0 एवं स्वा0विभाग,राज0,जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप– 3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
8. निदेशक, (जन स्वा./आर.सी.एच.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
9. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
10. **संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित कर लेख हैं कि आपके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थियों से संबंधित मूल आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेज आदि दिनाँक 13.02.2017 को विशेष वाहक भिजवाकर निदेशालय से प्राप्त करें तथा निदेशालय के आदेश संख्या 390 दिनाँक 18.09.2015 की पालना में तत्काल संबंधित जिला कलेक्टर महोदय से सम्पर्क कर जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति की अध्यक्षता हेतु जिला कलेक्टर से प्रतिनिधि मनोनित करवाऐं तथा समिति की बैठक आयोजित करवाकर निदेशालय के आदेश क्रमांक 391 दिनाँक 18.09.2015 में वर्णित समस्त बिन्दुओं तथा निम्नांकित बिन्दुओं पर सत्यापन/परीक्षण की कार्यवाही करके अभ्यर्थियों को उनके पदस्थापन स्थान के लिये जिला कलेक्टर के अनुमोदन के उपरान्त आदेशित करें :–**

92
8.02.17

(i) अभ्यर्थी का जिस जाति वर्ग(ओबीसी/एसबीसी/एससी/एसटी/एससी टीएसपी/एसटी टीएसपी/सहरिया) में चयन हुआ हैं उसके संबंध में कार्यग्रहण तिथि को वैद्य मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं उसके सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावे।

(ii) जिन अभ्यर्थीयों का चयन एसटी (टीएसपी)/एससी (टीएसपी) क्षेत्र के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदो के विरूद्ध किया गया है उनके द्वारा टीएसपी क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करावें।

(iii) ओबीसी/एसबीसी वर्ग में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण तिथि को वैद्य नवीनतम जाति प्रमाण पत्र (नॉन किमीलेयर) प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण करावें।

(iv) आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम अथवा पिता एवं पति दोनो के नाम से राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने पर ही कार्यग्रहण करावे, केवल पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं हैं।

(v) शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एवं सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।

(vi) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित अंको तथा आवेदन के साथ प्रस्तुत अंकतालिका की छायाप्रति के आधार पर मेरिट में अंक उल्लेखित किये गये है। यदि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत मूल अंकतालिकाओं के अंको में भिन्नता हो तो कार्यग्रहण नही कराया जावे।

(vii) राज्य एवं राज्य के बाहर के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अध्यधीन कार्यग्रहण करावे तथा संबंधित संस्था से सत्यापन हो जाने एवम् सही पाये जाने के पश्चात ही प्रार्थी को मूल दस्तावेज लौटावें।

(viii) विधवा, विकलांग के प्रमाण पत्र एवं विवाह विच्छिन्न (Divorced) अभ्यर्थी को विज्ञप्ति के अनुसार इस संबंध में सक्षम स्तर के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।

(ix) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दिये गये तथ्य तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के सही होने बाबत संलग्न प्रपत्र में शपथ पत्र 10/–रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पत्र पर नोटेरी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत कराना होगा।

(x) दस्तावेजो में किसी भी प्रकार की कांट–छांट/कूटरचित हो तो तत्काल निदेशालय को अवगत करावें एवं अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण नही करावें।

(xi) उक्त निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्रचलित नियमों की पालना सुनिश्चित करें।

(xii) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उनके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थियों को प्रथमतः उनके जिले में चयनित आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थापित करेगें।

(xiii) समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जिले मे उनके अधीन तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों के अधीन फार्मासिस्ट के ऐसे पदों पर जिन पर अन्य संवर्ग के कार्मिक कार्यरत है उन्हें रिक्त मानकर उन पर नवचयनित फार्मासिस्ट का पदस्थापन करें। फार्मासिस्ट के पदविरूद्व कार्यरत अन्य संवर्ग के कार्मिकों की सूची एवं जिले में अन्य संबंधित सवंर्गो के रिक्त पदों की सूचना निदेशालय को प्रेषित करें जिससे निदेशालय स्तर से इनका अग्रिम पदस्थापन किया जा सकें। फार्मासिस्ट के पदो के विरूद्व कार्यरत अन्य सवंर्गो के कार्मिकों का पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने स्तर पर नहीं करें।

11. **संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता हैं कि वह सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजों के साथ अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेगें। उसके पश्चात् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से लिखित आदेश प्राप्त कर उनके लिये आवंटित स्थान पर पदभार ग्रहण करे।**
12. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को **प्रेषित** कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।
13. आदेश पत्रावली।

8/2/17

(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर